मैंने प्रधान सचिव एवं राज्यपाल सचिवालय की पृष्ठ 11/टि से लगातार आगत टिप्पणियों तथा बिहार की वर्तमान राजनितिक स्तिथि के सम्बन्ध में प्राप्त पत्रों की भी अवलोकन किया , जो संचिका में रक्षित हैं

दिनांक 9 फरवरी 2015 को 1:30 बजे अपरान्ह में जनता दल (यूनाइटेड) के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शरद यादव के नेतृत्व में बारह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मुझसे भेंट की जिसमे श्री नीतीश कुमार, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद, कांग्रेस पार्टी के श्री सदानंद सिंह शामिल थे । इस प्रतिनिधिमंडल द्वारा एक पत्र सौंप कर यह मांग की गई कि श्री जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री पद से हटा कर श्री नीतीश कुमार, जिन्हे जनता दल (यूनाइटेड) के विधायक दल का नया नेता चुना गया है, को अविलम्ब सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए क्योंकि सदन के सदस्यों का बहुमत श्री नीतीश कुमार के साथ है और उन्हें राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तथा एक निर्दलीय विधायक श्री दुलाल चद गोस्वामी का समर्थन प्राप्त है जिसके सम्बन्ध में उन्होंने अपना समर्थन पत्र भी दिया है । श्री नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री श्री मांझी यदि सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना चाहें तो उन्हें अधिकतम 48 घंटे का समय दिया जाए ।

मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी ने भी 09/02/2015 को ही 3 बजे अपरान्ह में मुझसे भेंट की और एक पत्र सौंप कर यह दावा किया कि उन्हें अभी भी सदन में बहुमत का विशवास प्राप्त है और श्री नीतीश कुमार का विधायक दल के नेता के रूप में चयन वैध नहीं है । उन्होंने बताया कि श्री नीतीश कुमार के चयन को उच्च न्यायालय में चुनौती भी दी गई है और यह उचित होगा कि एक दो दिन न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा कर ली जाए । उन्होंने अपना बहुमत सदन के पटल पर प्रमाणित

करने के लिए समय माँगा और कहा की सदन पहले से ही 20/02/2015 को आहूत किया गया है अतः वह अपना बहुमत सदन में सिद्ध कर देंगे ।

इसी दिन अपरान्ह में ही बिहार विधान सभा के अध्यक्ष श्री उदय नारायण चौधरी ने भी शिष्टाचार के नाते मुझसे भेंट की और अनौपचारिक रूप से विगत दिनों के घटना क्रम से मुझे अवगत कराया ।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि वर्तमान मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी और श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले दोनों प्रतिस्पर्धी राजनितिक गुटों द्वारा अपने . अपने पक्ष में बहुमत होने का दवा किया जा रहा है ।

यहाँ यह उल्लेखनीय है की भारत का सविंधान के अनुछेद १७६ के अनुसार जहाँ किसी राज्य में विधायिका के दो सदन है वहां हर एक वर्ष के प्रारम्भ में राज्यपाल एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण करेंगे । अर्थात दो सदनों वाले राज्य में प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारम्भ की पहली बैठक दोनों सदनों की ही होगी । यह संवैधानिक अनिवार्यता है । अतः दो सदनों वाले राज्य में यह संभव नहीं है कि वर्ष के प्रारम्भ में अकेले विधान सभा का ही सत्र आहूत किया जाए । वर्ष 2015 में अभी विधानमंडल की कोई बैठक नहीं हुई । अतः अब जो भी सत्र होगा वह वर्ष का पहला सत्र होगा तथा उसके लिया अनुछेद 176 का अनुपालन करना होगा । इसके बाद ही अलग अलग सदनों का आगे का कार्य निष्पादित होगा ।

यह निर्विवाद है कि बिहार विधान सभा तथा परिषद का समवेत सदन पहले से ही दिनांक 20.02.2015 केलिए आहूत किया गया है । सविंधान के अनुछेद

163 में यह निर्देश है कि राज्यपाल को उन कार्यों को छोड़कर जो उसे विवेकानुसार करने हैं उसे अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान, मुख्यमंत्री होगा । दिनांक 20.02.2015 का सत्र प्रदेश के मंत्रिपरिषद की सलाह पर बुलाया गया है । मंत्रिपरिषद ने इस तिथि के परिवर्तन के लिए कोई सलाह नही दी है । अतः इस तिथि में परिवर्तन करना सही नहीं है ।

श्री शरद यादव तथा श्री नीतीश कुमार ने अपने पत्रों तथा मौखिक निवेदन में यह कहा है कि मुख्यमंत्री श्री मांझी के स्थान पर जनता दल (यूनाइटेड ) विधान मंडल ने श्री मांझी को विधान मंडल दल के नेता पद से हटा कर श्री नीतीश कुमार को अपना नेता चुन लिया है तथा श्री मांझी से त्याग पत्र देने के लिए कहा गया परन्तु उन्होंने त्याग पत्र नहीं दिया, अतः श्री मांझी को मुख्यमंत्री पद से मुक्त कर श्री नीतीश कुमार को नई सरकार गठन करने हेतु आमंत्रित किया जाए ।

यहाँ यह कहना सुसंगत होगा कि बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के अनुसार मुख्यमंत्री नेता सदन होता है । मुख्यमंत्री श्री मांझी ने अभी तक त्यागपत्र नहीं दिया है । इसके विपरीत उनका कहना है कि वह सदन में अपना बहुमत सिद्ध कर देंगे ।

वर्तमान प्रकरण की सभी परिस्तिथियों, पत्रावली पर उपलब्ध सभी पत्रों व टिप्पणियों तथा सविंधान के प्रावधानों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा एस. आर. बोम्मई के निर्णय तथा जगदम्बिका पाल के प्रकरण में दिए गए निर्देश पर गहनता पूर्वक विचार करने के उपरांत निम्नलिखित निर्देश पारित करना न्यायसंगत व उचित प्रतीत होता है :-

1. दिनांक 20.02.2015 को आहूत दोनों सदनों के समवेत सत्र में राज्यपाल का भाषण होगा । तत्पश्चात उसीदिन जब विधान सभा की कार्यवाही प्रारम्भ हो तो प्रथम कार्यवाही के रूप में सबसे पहले मुखमंत्री द्वारा अपने मंत्रिपरिषद के पक्ष में विश्वास प्राप्त करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा ।
2. उस प्रस्ताव पर यदि आवश्यक हुआ या सदन में मांग की गई तो प्रक्रिया नियमावली का पालन करते हुए उस पर विमर्श होगा ।
3. विमर्श समाप्त होने पर विधान सभा अध्यक्ष द्वारा मत विभाजन के द्वारा प्रस्ताव पर निर्णय किया जाएगा । मतदान की निष्पक्षता एवं स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए विधान सभा अध्यक्ष प्रस्ताव पर मतदान लॉबी डिवीज़न या गुप्त मतदान पद्धति से कराएँगे । यदि गुप्त मतदान हुआ तो मतों की गिनती सदन में सदस्यों की उपस्तिथि में की जायेगी।
4. मतदान के परिणाम से राज्यपाल को यथाशीघ्र सूचित किया जाएगा ।

इस आदेश से सभी सम्बंधित को अवगत करा दिया जाए ।

केशरी नाथ त्रिपाठी 15/2/15

**केशरी नाथ त्रिपाठी**